

## वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें

### परमिट संबंधी आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात

#### निश्चित रूप से संलग्न किया जाय :-

1. निबंधन पुस्त
2. अद्यतन कर प्रतीक
3. अद्यतन बीमा कागजात
4. अद्यतन दुरूस्ती प्रमाण-पत्र
5. वाहन का फोटो
6. समय-सारणी
7. मार्ग का नक्शा (अन्तर्राज्यीय मार्ग को छोड़कर)
8. वाहन स्वामी का फोटो
9. आवासीय प्रमाण-पत्र
10. बैंक खाता की छायाप्रति
11. परमिट शुल्क
12. आवेदन शुल्क
13. अधिभार शुल्क
14. मोटर वाहन उपक्रम चलाने का निबंधन प्रमाण-पत्र
15. यात्रियों को टिकट देने का शपथ-पत्र
16. वाहन के कंडक्टर के संबंध में शपथ-पत्र
17. वाहन के एजेंट के संबंध में शपथ-पत्र
18. मार्ग पर प्रतिदिन परिचालन की दूरी 250 कि०मी० से ज्यादा होने पर वाहन स्वामी द्वारा दो चालक का शपथ-पत्र
19. वाहन के विंडस्क्रीन पर इंजन नं० एवं चेचीस नं० अंकन का मोटर यान निरीक्षक का प्रमाण-पत्र

**नोट:-** सभी कागजात वाहन स्वामी द्वारा स्व हस्ताक्षरित एवं सुस्पष्ट हो, आवेदन पर समझौता का मार्ग संख्या अंकित हो । बैंक ड्राफ्ट के पीछे वाहन संख्या एवं वाहन स्वामी का नाम अंकित हो, समय-सारणी में किसी प्रकार का कटिंग या ओभरराईटिंग नहीं होना चाहिए । साथ ही आवेदक का पता पिन कोड सहित हो ।

2. वाहन स्वामी इस आशय का उल्लेख अपने शपथ-पत्र में करेंगे कि आवेदन उनके द्वारा हस्ताक्षरित है ।

3. आवेदन पत्र में, आवेदक / वाहन स्वामी के पत्राचार के पते में ग्राम, पौस्ट, मुहल्ला, पिन कोड सहित मोबाईल नं० एवं दूरभाष संख्या आदि का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय । पत्राचार किये जाने की दशा में यदि पत्र वापस होते हैं तो इसकी जवाबदेही वाहन स्वामी की होगी ।